संख्या: [illegible]-एक(4)/न्याय विभाग/2003

प्रेषक,

बी. लाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
लोक सेवा अधिकरण
उत्तरांचल, देहरादून ।

न्याय विभाग — देहरादून:दिनांक: 05 जुलाई, 2003

विषय: लोक सेवा अधिकरण, उत्तरांचल, देहरादून में उपनिबन्धक का पद सृजन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 201/लो0से0अधि0/2003, दिनांक 9 जून, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा अधिकरण, उत्तरांचल, देहरादून में कार्य के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0 326/न्याय विभाग/2001, दिनांक 4.7.2001 एवं शासनादेश सं0 17-एक/न्याय अनुभाग/2002, दिनांक 5 फरवरी, 2002 के अनुक्रम में उपनिबन्धक का एक अस्थाई पद वेतनमान रू0 6500-200-10500 में इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा पद भरे जाने की तिथि, [illegible], से दिनांक 31-12-2003 तक के लिए, बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पदधारक को [illegible] के वेतनमान के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर अनुमन्य किये गये महंगाई व अन्य भत्ते भी देय होंगे ।

3- इस पद पर सीधी भर्ती शासन में लागू प्रचलित नियमान्तर्गत किया जायेगा ।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अधीन अनुदान संख्या- 04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-लोक सेवा अधिकरण के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:581/वित्त अनुभाग-3/2003, दिनांक 05 जुलाई, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(बी. लाल)
सचिव ।

संख्या: 1[illegible]-एक(4)/न्याय वि0 [illegible]/2003, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2- कोषाधिकारी, देहरादून ।
3- नियुक्ति/कार्मिक अनुभाग ।
4- वित्त अनुभाग-3 ।
5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

([illegible])
अपर सचिव ।